

**राजस्थान विवाहों का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण (संशोधन)
विधेयक, 2021**

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

राजस्थान विवाहों का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 2009 को संशोधित करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के बहतरवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.- (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान विवाहों का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) अधिनियम, 2021 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. 2009 के राजस्थान अधिनियम सं. 16 की धारा 2 का संशोधन.- राजस्थान विवाहों का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम सं. 16), जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 2 के विद्यमान खण्ड (च) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(च) "जिला विवाह रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, अपर जिला विवाह रजिस्ट्रीकरण अधिकारी और ब्लाक विवाह रजिस्ट्रीकरण अधिकारी" से धारा 5 के अधीन नियुक्त क्रमशः जिला विवाह रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, अपर जिला विवाह रजिस्ट्रीकरण अधिकारी और ब्लाक विवाह रजिस्ट्रीकरण अधिकारी अभिप्रेत हैं;"।

3. 2009 के राजस्थान अधिनियम सं. 16 की धारा 5 का संशोधन.- मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 5 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"5. जिला विवाह रजिस्ट्रीकरण अधिकारी और अन्य अधिकारियों की नियुक्ति.- राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नाम से या पदाभिधान से, संबंधित जिले के लिए जिला

विवाह रजिस्ट्रीकरण अधिकारी और अपर जिला विवाह रजिस्ट्रीकरण अधिकारी और संबंधित ब्लाक के लिए ब्लाक विवाह रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को उनकी अपनी-अपनी अधिकारिता में, विवाहों के रजिस्ट्रीकरण के कार्य को मानीटर और पुनरीक्षित करने के लिए, नियुक्त कर सकेगी।"।

4. 2009 के राजस्थान अधिनियम सं. 16 की धारा 8 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 8 में,-

(i) विद्यमान उप-धारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(1) विवाह के पक्षकार, या यदि वर ने इक्कीस वर्ष की आयु पूर्ण नहीं की है और/या वधू ने अट्ठारह वर्ष की आयु पूर्ण नहीं की है तो पक्षकारों के माता पिता या, यथास्थिति, उनके संरक्षक, विवाह के अनुष्ठापन की तारीख से तीस दिवस की कालावधि के भीतर-भीतर, ऐसी रीति से, जो विहित की जाये, उस रजिस्ट्रार को, जापन प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी होंगे, जिसकी अधिकारिता के भीतर विवाह अनुष्ठापित किया गया है या विवाह के पक्षकार या उनमें से कोई जापन प्रस्तुत किये जाने की तारीख से कम से कम तीस दिवस पूर्व से निवास कर रहा है।";

(ii) इस प्रकार संशोधित उप-धारा (1) के पश्चात् और विद्यमान उप-धारा (2) से पूर्व, निम्नलिखित नयी उप-धारा अंतःस्थापित की जायेगी, अर्थात्:-

"(1-क) यदि, किसी भी समय, विवाह के पक्षकारों में से किसी की या दोनों की मृत्यु हो जाती है तो उत्तरजीवी पक्षकार, पक्षकारों के माता पिता, उनकी वयस्क संतान या, यथास्थिति, उनके संरक्षक, ऐसी रीति से, जो विहित की जाये, उस रजिस्ट्रार को, जापन प्रस्तुत कर सकेंगे, जिसकी अधिकारिता के भीतर विवाह अनुष्ठापित किया गया है, या उत्तरजीवी पक्षकार, पक्षकारों के माता पिता, उनकी वयस्क संतान या, यथास्थिति, उनके

संरक्षक जापन प्रस्तुत किये जाने की तारीख से कम से कम तीस दिवस पूर्व से निवास कर रहे हैं।"।

5. 2009 के राजस्थान अधिनियम सं. 16 की धारा 15 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 15 में,-

(i) शीर्षक में, विद्यमान अभिव्यक्ति "जिला विवाह रजिस्ट्रीकरण अधिकारी" के पश्चात् और विद्यमान अभिव्यक्ति "को भेजी जाना" से पूर्व, अभिव्यक्ति "और अन्य अधिकारियों" अंतःस्थापित की जायेगी; और

(ii) विद्यमान अभिव्यक्ति "जिला विवाह रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को भेजेगा जो उसके लिए" के स्थान पर अभिव्यक्ति "धारा 5 के अधीन नियुक्त जिला विवाह रजिस्ट्रीकरण अधिकारी और अन्य अधिकारियों को भेजेगा जो उनके लिए" प्रतिस्थापित की जायेगी।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

राजस्थान विवाहों का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 2009 की धारा 5 जिला विवाह रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की नियुक्ति के लिए उपबंध करती है। राज्य सरकार ने जिला और ब्लाक स्तर पर विवाहों के रजिस्ट्रीकरण के कार्य की मानीटरी और पुनरीक्षण करने के लिए अपर जिला विवाह रजिस्ट्रीकरण अधिकारी और ब्लाक विवाह रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नियुक्त करने का विनिश्चय किया है। तदनुसार, अधिनियम की धारा 5 को यथोचित रूप से संशोधित किया जाना प्रस्तावित है। परिणामस्वरूप, धारा 2 के खण्ड (च) और धारा 15 को भी संशोधित किया जाना प्रस्तावित है।

अधिनियम की धारा 8 यह उपबंधित करती है कि यदि विवाह के पक्षकारों ने विवाह की आयु पूर्ण न की हो तो उनके माता पिता या संरक्षक विहित कालावधि के भीतर-भीतर जापन प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी होंगे। पक्षकार/पक्षकारों की मृत्यु की दशा में विवाह के रजिस्ट्रीकरण का उपबंध भी सम्मिलित किये जाने का विनिश्चय किया गया है। तदनुसार, अधिनियम की धारा 8 को संशोधित किया जाना प्रस्तावित है।

यह विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ईप्सित है।

अतः विधेयक प्रस्तुत है।

अशोक गहलोत,

प्रभारी मंत्री।

प्रत्यायोजित विधान संबंधी जापन

विधेयक का खण्ड 4, यदि अधिनियमित किया जाता है तो राज्य सरकार को वह रीति, जिससे विवाह के पक्षकार, उनके माता पिता या संरक्षक जापन प्रस्तुत करेंगे और इसके साथ ही वह रीति, जिससे उत्तरजीवी पक्षकार, पक्षकारों के माता पिता, उनकी वयस्क संतान या, यथास्थिति, उनके संरक्षक जापन प्रस्तुत कर सकेंगे, विहित करने के लिए सशक्त करेगा।

प्रस्तावित प्रत्यायोजन सामान्य प्रकृति का है और मुख्यतः ब्यौरे के विषय से संबंधित है।

अशोक गहलोत,
प्रभारी मंत्री।

**राजस्थान विवाहों का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 2009
(2009 का अधिनियम सं. 16) से लिये गये उद्धरण**

XX XX XX XX XX

2. परिभाषाएं.- जब तक कि विषय या संदर्भ द्वारा अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में,-

(क) से (ड) XX XX XX XX

(च) "जिला विवाह रजिस्ट्रीकरण अधिकारी" से धारा 5 के अधीन नियुक्त जिला विवाह रजिस्ट्रीकरण अधिकारी अभिप्रेत है;

(छ) से (झ) XX XX XX XX

XX XX XX XX XX

5. जिला विवाह रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की नियुक्ति.- राज्य सरकार, राज-पत्र में अधिसूचना द्वारा नाम से या पदाभिधान से संबंधित जिले के लिए जिला विवाह रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नियुक्त कर सकेगी।

XX XX XX XX XX

8. जापन प्रस्तुत करने का कर्तव्य.- (1) पक्षकार, या जहां पक्षकार इक्कीस वर्ष के न हों वहां पक्षकारों के माता पिता या, यथास्थिति, संरक्षक विवाह के अनुष्ठापन की तारीख से तीस दिवस की कालावधि के भीतर-भीतर, उस रजिस्ट्रार को जापन प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी होंगे, जिसके क्षेत्राधिकार के भीतर विवाह अनुष्ठापित किया गया है या दोनों पक्षकार या उनमें से कोई निवास करता है।

(2) XX XX XX XX XX

XX XX XX XX XX

15. रजिस्ट्रार द्वारा विवाह के प्रमाणपत्र की प्रति जिला विवाह रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को भेजी जाना.- जब रजिस्ट्रार इस अधिनियम के अधीन किसी विवाह को रजिस्ट्रीकृत करता है तब वह तदुपरान्त तत्काल विवाह प्रमाणपत्र की एक प्रति जिला विवाह रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को भेजेगा जो उसके लिए विवाहों के रजिस्ट्रीकरण के कार्य को मानीटर और पुनरीक्षित करने में सहायक होगी।

XX XX XX XX XX

(Authorised English Translation)

**THE RAJASTHAN COMPULSORY REGISTRATION OF
MARRIAGES (AMENDMENT) BILL, 2021**

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

A

Bill

to amend the Rajasthan Compulsory Registration of Marriages Act, 2009.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Seventy-second Year of the Republic of India, as follows:-

1. Short title and commencement.- (1) This Act may be called the Rajasthan Compulsory Registration of Marriages (Amendment) Act, 2021.

(2) It shall come into force at once.

2. Amendment of section 2, Rajasthan Act No. 16 of 2009.- For the existing clause (f) of the section 2 of the Rajasthan Compulsory Registration of Marriages Act, 2009 (Act No. 16 of 2009), hereinafter referred to as the principal Act, the following shall be substituted, namely:-

“(f) “District Marriage Registration Officer, Additional District Marriage Registration Officer and Block Marriage Registration Officer” mean the District Marriage Registration Officer, Additional District Marriage Registration Officer and Block Marriage Registration Officer respectively appointed under section 5;”.

3. Amendment of section 5, Rajasthan Act No. 16 of 2009.- For the existing section 5 of the principal Act, the following shall be substituted, namely:-

“5. Appointment of District Marriage Registration Officer and other officers.- The State

Government may, by notification in the Official Gazette, appoint, either by name or by virtue of office, District Marriage Registration Officer and Additional District Marriage Registration Officer for the district concerned and Block Marriage Registration Officer for the block concerned to monitor and review the work of registration of marriages in their respective jurisdiction.”.

4. Amendment of section 8, Rajasthan Act No. 16 of 2009.- In section 8 of the principal Act,-

(i) for the existing sub-section (1), the following shall be substituted, namely:-

“(1) The parties to the marriage, or in case the bridegroom has not completed the age of twenty one years and/or bride has not completed the age of eighteen years, the parents or, as the case may be, guardian of the parties shall be responsible to submit the memorandum, in such manner, as may be prescribed, within a period of thirty days from the date of solemnization of the marriage to the Registrar within whose jurisdiction the marriage is solemnized, or the parties to the marriage or either of them are residing for at least thirty days before the date of submission of the memorandum.”;

(ii) after sub-section (1) so amended and before the existing sub-section (2), the following new sub-section shall be inserted, namely:-

“(1-A) If, at any time, death of either of the parties to the marriage or of both occurs, the surviving party, parents, adult child or, as the case may be, guardian of the parties may submit the memorandum, in such manner, as may be prescribed, to the Registrar within whose jurisdiction the marriage is solemnized, or the surviving party, parents, adult child or, as the case may be, guardian of the parties is residing for at least thirty days before the date of submission of the memorandum.”.

5. Amendment of section 15, Rajasthan Act No. 16 of 2009.- In section 15 of the principal Act,-

(i) in heading, after the existing expression “**District Marriage Registration Officer**” and before the existing punctuation marks “.-”, the expression “**and the other officers**” shall be inserted; and

(ii) for the existing expression “District Marriage Registration Officer which will be helpful for him”, the expression “District Marriage Registration Officer and other officers appointed under section 5 which will be helpful for them” shall be substituted.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Section 5 of the Rajasthan Compulsory Registration of Marriages Act, 2009 provides for appointment of District Marriage Registration Officer. The State Government has decided to appoint the Additional Marriage Registration Officer and Block Marriage Registration Officer for monitoring and reviewing the work of registration of marriages in the district and block level. Accordingly, section 5 of the Act is proposed to be amended suitably. Consequently, clause (f) of section 2 and 15 are also proposed to be amended.

Section 8 of the Act provides that if parties to the marriage have not completed the age of marriage, the parents or guardians shall be responsible to submit the memorandum within a prescribed period. It has been decided to incorporate the provision of registration of marriage in case of death of parties/party also. Accordingly, section 8 of the Act is proposed to be amended.

The Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

Hence the Bill.

**अशोक गहलोट,
Minister Incharge.**

**MEMORANDUM REGARDING DELEGATED
LEGISLATION**

Clause 4 of the Bill, if enacted, shall empower the State Government to prescribe, the manner in which the parties to the marriage, the parents or guardian of the parties shall submit the memorandum and also the manner in which the surviving party, parents, adult child or, as the case may be, guardian of the parties may submit the memorandum.

The proposed delegation is of normal character and relates to the matter of detail.

**अशोक गहलोट,
Minister Incharge.**

राजस्थान विवाहों का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) विधेयक, 2021

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

राजस्थान विधान सभा

राजस्थान विवाहों का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 2009
को संशोधित करने के लिए विधेयक।

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

प्रमिल कुमार माथुर,
सचिव।

15

(अशोक गहलोत, प्रभारी मंत्री)

Bill No. 4 of 2021

**THE RAJASTHAN COMPULSORY REGISTRATION OF
MARRIAGES (AMENDMENT) BILL, 2021**

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

RAJASTHAN LEGISLATIVE ASSEMBLY

A

Bill

*to amend the Rajasthan Compulsory Registration of
Marriages Act, 2009.*

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

Pramil Kumar Mathur,
Secretary.

(Ashok Gehlot, **Minister-Incharge**)